भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 992
सोमवार, 29 जुलाई, 2024/7 श्रावण, 1946 (शक)

जनजातीय समुदाय के बेरोजगार लोग

992. डॉ. मन्ना लाल रावत:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास जनजातीय समुदाय से संबंधित शिक्षित बेरोजगार लोगों के बारे में कोई डेटा है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2019 से 2023 तक राजस्थान के जनजातीय समुदायों से संबंधित कितने व्यक्ति बेरोजगार हैं;

(ग) सरकार द्वारा उक्त लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए की गई व्यवस्थाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा कार्यान्वित विभिन्न कौशल विकास योजनाओं के अंतर्गत कुल कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं तथा उनमें से कितने व्यक्ति अनुसूचित जनजातियों के हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करंदलाजे)

(क) से (घ): आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) रिपोर्टों के अनुसार, आदिवासी समुदाय के लिए सामान्य स्थिति के आधार पर अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) 2019-20 में 3.4%, 2020-21 में 2.7%, 2021-22 में 2.4% और 2022-23 में 1.8% रही है। पीएलएफएस रिपोर्ट अखिल भारतीय स्तर पर विभिन्न सामाजिक समूहों के लिए अनुमान प्रदान करती है।

रोजगार सृजन के साथ रोजगार क्षमता में सुधार सरकार की प्राथमिकता है। तदनुसार, भारत सरकार ने देश में राजस्थान राज्य सहित रोजगार सृजन के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं।

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय/विभाग जैसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय आदि विभिन्न रोजगार सृजन योजनाएं/कार्यक्रम आदि अलग-अलग कार्यान्वित कर रहे हैं। जिसमें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), राजस्थान राज्य सहित देश में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत व्यय में वृद्धि शामिल हैं। भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण https://dge.gov.inschemes_programmes पर देखा जा सकता है।

इसके अलावा, सरकार देश में राजस्थान राज्य सहित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) नामक विभिन्न कौशल विकास योजनाएँ लागू कर रही है और इन योजनाओं में लाभान्वित हुए लोगों की संख्या राजस्थान में वर्ष 2019-20 से 2022-23 तक अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों सहित 11,07,220 है।

*****